

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय

क्रमांक--डी-17-14/95/14-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2007

1. कलेक्टर सह अध्याक्ष,
जिला माइको इरीगेशन कमेटी,
जिला--
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
जिला
3. उपसंचालक कृषि
सदस्य सचिव,
जिला माइको इरीगेशन कमेटी,
जिला--

विषय : विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सिंप्रकलर, ड्रिप, सिंचाई पम्पों, कृषि उपकरणों तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान व्यवस्था में परिवर्तन करने बाबत ।

इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29-30/11/2006 की कांडिका क्रमांक-2 के बिन्दु क्रमांक (5) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक (5) प्रतिस्थापित किया जाता है :-

- (5) चयनित हितग्राही जिलों में पूर्व में सूचीबद्ध किये गये अधिकृत कम्पनी डीलर से इच्छानुसार सिंप्रकलर, ड्रिप सिंचाई पम्प, कृषि उपकरणों तथा अन्य कृषि यंत्रों का स्वयं पूर्ण भुगतान करने पर कय कर सकेंगे । यदि कृषक चाहें तो मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम अथवा मार्कफेड से भी उक्त सामग्री कय कर सकेंगे ।

(डॉ. एच.बी.एस. भदौरिया)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग
भोपाल, दिनांक फरवरी, 2007

पृ० क्रमांक--डी-17-14/95/14-3
प्रतिलिपि :-

1. संचालक कृषि / कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम / मार्कफेड, भोपाल

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग